

120
जारी
23.12.16

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

अपर सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 23 दिसम्बर, 2016

विषय:- आय-व्ययक 2016-17 में पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-488/पी0पी0पी0 बजट/2008-09, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु आय-व्ययक 2016-17 में पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ हेतु प्राविधानित आयोजनागत पक्ष में धनराशि रु 20.00 लाख (रु 0 बीस लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने हेतु स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-847, दिनांक 26 जुलाई, 2016 में दिये गये दिशा निर्देशानुसार ही किया जायेगा एवं उक्त शासनादेश में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 2. स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा। मितव्ययता के सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय ताकि तदनुसार विशेषकर आयोजनागत पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
 3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 4. यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय नहीं किया जाए जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो तथा उस प्रकरण में व्यय के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।
 5. संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशि को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए तथा व्यय का विवरण नियमित रूप से प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक बी0एम0-8 (पुराना बी0एम0-13) पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।
 6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्पावित व्यय की फ्रेजिंग (त्रैमास के आधार पर) नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 7. यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
 8. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु आय-व्ययक 2016-17 के अनुदान सं0-7 लेखाशीर्षक-3451-आर्थिक सेवायें- 092-अन्य कार्यालय- आयोजनागत- 99-पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ का गठन-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 2- उक्त स्वीकृति विषयक ऑनलाईन बजट आवंटन प्रपत्र की प्रति संलग्न है।
- 3- यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशा0सं0-847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में प्राप्त दिशानिर्देशानुसार निर्गत की जा रही हैं।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव,

संख्या- /XXVI/एक (23)/2016- तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराँय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
- 4- संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
- 5- वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
- 6- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से



(प्रताप सिंह शाही)

उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Planning (S036)

आवंटन पत्र संख्या - One (23)/ 2016

अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - S1612070313

आवंटन पत्र दिनांक -16-Dec-2016

HOD Name - Director State Planning Commission (2940)

1: लेखा शीर्षक 3451 - सचिवालय आर्थिक सेवायें 00 -
092 - अन्य कार्यालय
99 - पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ का गठन
00 - नियोजन विभाग के अन्तर्गत पीपीपी प्रकोष्ठ का गठन

Plan Voted			
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	2000000	2000000
	0	2000000	2000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2000000

Signature